बिहार से 'सेवा' के गुर सीखेगा कर्नाटक

रविशंकर शुक्ला, हाजीपुर बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम यानी आरटीपीएस, 15 अगस्त 2011 को लागू होने के बाद मुश्किल से छह माह का सफर। दिन-समय के लिहाज से अभी शैशवावस्था। लेकिन, आवेदनों के निष्पादन की तेज गति के कारण बन गया रोल माडल। मंगलवार को कर्नाटक के विधि मंत्री एस सुरेश कुमार व अतिरिक्त मुख्य सचिव के जयराज के नेतृत्व में वहां के बड़े अफसरों की टीम यहां पहुंच रही है। जो यह देखेगी कि लोक सेवाओं के मामले में वैशाली रोल माडल कैसे बना। जानने के बाद इसे कर्नाटक में भी लागू किया जाएगा।

बिहार से सेवा के गुर सीखेगा कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक से आने वाली टीम के सदस्यों को राज्य अतिथि का दर्जा दिया है। नौकरी बचाने की चिंता : अधिनियम के तहत महज 21 दिनों में 52 सेवाएं। निर्धारित अवधि में काम न हुआ तो फिर संबंधित कर्मी व अफसर घेरे में। सरकार ने कानून का ऐसा शिकंजा कसा है कि सबको नौकरी बचाने की चिंता है। रोज 1800 मामले का निष्पादन : लोकतंत्र की जन्मभूमि वैशाली में आरटीपीएस के तहत प्रत्येक माह 56 हजार 474, हर दिन के हिसाब से 1883 आवेदनों का निष्पादन हो रहा है। यानी आठ घंटे की कार्यावधि के हिसाब से हर घंटे 235 आवेदनों का निष्पादन। बीती पांच जनवरी तक 142 दिनों में रिकार्ड 2 लाख 67 हजार 314 आवेदनों का निष्पादन किया गया। जागरूकता अभियान : जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर प्रखंड तक लोगों को इस सेवा का लाभ मिल रहा है। कानून की जानकारी देने को शहर से लेकर प्रखंड तक बड़े-बड़े फ्लैक्स लगाये गये हैं। काउंटर : लोगों को इस कानून की जानकारी देने के लिए कलेक्ट्रेट में मे आइ हेल्प यू काउंटर खोला गया है। काउंटर पर मौजूद कर्मी बताते हैं कि वे कितने दिनों में कौन सी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। कहां आवेदन देना होगा। अब तक दस हजार से अधिक लोगों को जानकारी दी जा चुकी है। कई सेवाएं महज छह दिन में : अधिनियम में आवेदन निस्तारण की अवधि 21 दिन निर्धारित है। जबकि लोगों को कई सेवाएं महज पांच से छह दिनों में ही मिल जा रही हैं। सीएम से मिली कर्नाटक से आई टीम सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कर्नाटक से आयी टीम को यह बताया कि अपनी सेवा यात्रा के दौरान वह जिलों में आरटीपीएस कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करते हैं। कर्नाटक के विधि एवं नगर विकास मंत्री श्री कुमार ने कहा कि बिहार में आरटीपीएस कानून का क्रियान्वयन बेहतरीन ढंग से हो रहा है। इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हुआ है। प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को वैशाली जायेगा। टीम में अतिरिक्त मुख्य सचिव के जयराज, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अमिता प्रसाद व सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सचिव शालिनी रजनीश हैं। टीम ने कर्नाटक सरकार की ओर से मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। मुख्यमंत्री से मिलने के पूर्व इस टीम ने मुख्य सचिव नवीन कुमार के कक्ष में आरटीपीएस कानून के संबंध में प्रजेंटेशन भी देखा। टीम मंगलवार को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से भी मिलेगी।